



## पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आईडी नं०:U40101UR2004GOI028675

अधिष्ठान एवं पेंशन अनुभाग (वित्त)

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 9897892702 email:- sa0@ptcul.org

पत्रांक: 419/अधि०एवंपें०अनु०(वि०)/पिटकुल/लेखास्कन्ध

दिनांक: 18/04/2026

**विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित कार्मिको के सेवानिवृत्ति पर ई०पी०एफ० फण्ड निष्कासन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।**

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि प्रत्येक माह आहूत होने वाली पेंशन की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित कार्मिको को सेवा निवृत्ति पर ई०पी०एफ० फण्ड निष्कासन की प्रक्रिया का विवरण पत्र के साथ संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सम्बन्धित ई०पी०एफ० फण्ड निष्कासन की प्रक्रिया का पिटकुल के समस्त कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित कार्मिकों में वृहद प्रचार प्रसार करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(दीपक पाण्डे)

वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रभारी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महाप्रबन्धक(मा०सं०), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक(वित्त), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल देहरादून को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेब साइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

## **HOW TO WITHDRAWN EPF AMOUNT AFTER RETIREMENT**

To withdraw EPF after retirement (age 58+), log into the **EPFO Unified Member Portal**, ensure KYC is updated, and select "Claim (Form-19, 10C & 10D)" under "Online Services". Submit Form 19 for full settlement and Form 10C/10D for pension,

### **Pre-requisites Before Withdrawal**

- **Active UAN:** Your Universal Account Number must be active.
- **KYC Compliance:** Ensure Aadhaar, PAN, and Bank Account (with IFSC) are linked and verified.
- **Date of Leaving:** Your employer must have updated your Date of Leaving (DOL) in the portal.

### **Step-by-Step Online Withdrawal Process (Form 19, 10C & 10D)**

1. **Log In:** Go to the EPFO Unified Member Portal and log in with your UAN, password, and captcha.
2. **Navigate to Claim:** Go to the 'Online Services' tab and select 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' from the dropdown menu.
3. **Verify Bank Account:** Enter the last four digits of your linked bank account number and click 'Verify'.
4. **Proceed:** Click 'Yes' to the certificate of undertaking, then select 'Proceed for Online Claim'.
5. **Select Claim Type:** In the 'I want to apply for' field, select '**Only PF Withdrawal (Form 19)**' for the full PF amount, and '**Only Pension Withdrawal (Form 10C)**' for the pension amount.

**Note: If you are eligible for a monthly pension (10+ years service), select Form 10D instead of 10C.**

**Fill Details:** Enter your address, select the certificate, and submit the form.

**OTP Verification:** Enter the OTP sent to your Aadhaar-linked mobile number.

**Submit:** Finalize the submission and download the generated PDF for your records

*Important Considerations*

- **TDS:** If service is less than 5 years, TDS will be applicable. Submit Form 15G/15H to avoid TDS if your income is below the taxable limit.
- **Pension Fund:** If you have completed 10 years of service, you are eligible for a monthly pension (form 10D), not a full lump-sum withdrawal of the pension fund.
- **Track Status:** Track your application status under the 'Online Services' tab on the portal.

*When any doubt online claim*

*Please contact:*

*Sri Vijendra Singh*

*(Accountant)*

*9319707192*

रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ कैसे निकालें

### निकासी से पहले पूर्व आवश्यकताएँ

- सक्रिय यूएन: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- केवाईसी अनुपालन: सुनिश्चित करें कि आधार, पैन और बैंक खाता (आईएफएससी के साथ) जुड़े और सत्यापित हैं।
- छोड़ने की तारीख: आपके नियोक्ता ने पोर्टल में आपकी छोड़ने की तारीख (डीओएल) अपडेट कर दी होगी।

### चरण-दर-चरण ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया (फॉर्म 19, 10सी और 10डी)

1. लॉग इन करें: ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूएन, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉग इन करें।
2. दावे पर जाएं: 'ऑनलाइन सेवाएं' टैब पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से 'दावा (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)' चुनें।
3. बैंक खाता सत्यापित करें: अपने लिंक किए गए बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें।
4. आगे बढ़ें: उपक्रम प्रमाण पत्र के लिए 'हां' पर क्लिक करें, फिर 'ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें' चुनें।
5. दावा प्रकार चुनें: 'मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं' फ़्रील्ड में, पूरी पीएफ राशि के लिए 'केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19)' और पेंशन राशि के लिए 'केवल पेंशन निकासी (फॉर्म 10सी)' चुनें।

नोट: यदि आप मासिक पेंशन (10+ वर्ष की सेवा) के लिए पात्र हैं, तो 10सी के बजाय फॉर्म 10डी चुनें।

6. विवरण भरें: अपना पता दर्ज करें, प्रमाणपत्र चुनें और फॉर्म जमा करें।
7. ओटीपी सत्यापन: अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
8. सबमिट करें: सबमिशन को अंतिम रूप दें और अपने रिकॉर्ड के लिए जेनरेट की गई पीडीएफ डाउनलोड करें।

### महत्वपूर्ण विचार

- टीडीएस: यदि सेवा 5 वर्ष से कम है, तो टीडीएस लागू होगा। अगर आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है तो टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15जी/15एच जमा करें।

- पेंशन फंड: यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आप मासिक पेंशन (फॉर्म 10डी) के लिए पात्र हैं, न कि पेंशन फंड की पूरी एकमुश्त निकासी के लिए।
- स्थिति ट्रैक करें: पोर्टल पर 'ऑनलाइन सेवाएँ' टैब के अंतर्गत अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

*When any doubt online claim*

*Please contact:*

*Sri Vijendra Singh*

*(Accountant)*

*9319707192*